न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–97 / 2024

प्रार्थी:–

नेमाराम उर्फ बालिया पुत्र दुरगाराम जाति रबारी निवासी पादरू

तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित :–

श्री महेन्द्र सिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.09.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2637/564, 2697/571, 2680/571, 2681/573, 2682/573, 2683/581, 2684/581, 2685/586, 2686/586, 584 कुल रकबा 9.9538 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 658 व 705 रकबा 1.1817 व 8.0127 हैक्टेयर भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड ,मतदाता परिचय पत्र,जन आधार कार्ड,बैंक डायरी में उसका वास्तविक नाम "नेमाराम पुत्र दुरगाराम " दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "बालीया पुत्र दुरगा" लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/975 दिनांक 15.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में [illegible] दस्तावेज आधारकार्ड,जनआधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र ,[illegible] प्रार्थी [illegible] शपथ पत्र व गवाह उम्मेदराम पुत्र दुरगाराम [illegible] पेश [illegible]

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''नेमाराम पुत्र दुरगाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम पादरू तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2637/564, 2697/571, 2680/571, 2681/573, 2682/573, 2683/581, 2684/581, 2685/586, 2686/586, 584 कुल रकबा 9.9538 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 658 व 705 रकबा 1.1817 व 8.0127 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''बालीया पुत्र दुरगा'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''नेमाराम पुत्र दुरगा '' की तकसीद होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''बालीया पुत्र दुरगा'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी।ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरू तहसील सिवाना के खसरा संख्या 2637/564, 2697/571, 2680/571, 2681/573, 2682/573, 2683/581, 2684/581, 2685/586, 2686/586, 584 कुल रकबा 9.9538 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 658 व 705 रकबा 1.1817 व 8.0127 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''बालीया पुत्र दुरगा'' के स्थान पर ''नेमाराम पुत्र दुरगाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:27:53 IST
Reason: SelfAttested